



Neutral Citation No. 2026:AHC:15018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 224 / 2026

सरवत हुसैन खान और अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

मोहम्मद इशराक फारूकी शैलेंद्र

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

आज़ाद राय मुख्य स्थाई

अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद इशराक फारूकी राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल और प्रत्यर्थी भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें इलाहाबाद स्थित राजस्व परिषद को यह आदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर जो द्वितीय अपील संख्या 1885/20202021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331(4) के तहत दायर किया गया है, निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्रतापूर्वक निर्णय ले।"

3. याचिकाकर्ता गण के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता गण की ओर से दायर द्वितीय अपील को स्वीकार कर लिया गया है परंतु राजस्व परिषद द्वारा अभी तक कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि स्वीकार की गई इस द्वितीय अपील में लंबित स्थगन आवेदन के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मैंने याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख को देखा है।

5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत याचिकाकर्ता गण की ओर से दायर मुकदमा विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और इस फैसले को पहली अपीलीय अदालत ने भी बरकरार रखा है। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता गण द्वारा दायर दूसरी अपील पिछले लगभग 4 वर्षों से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज उक्त दूसरी अपील का निर्णय करे। इसके लिए यदि विचारण न्यायालय और पहली अपीलीय अदालत के अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तो उन्हें मंगाया जाए और फिर जितनी जल्दी हो सके अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार इस अपील का निर्णय किया जाए। आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि दूसरी अपील में लंबित सभी आवेदनों का निर्णय राजस्व परिषद द्वारा दूसरी अपील का निर्णय करने से पहले कानून के अनुसार किया जाएगा।

**(चंद्र कुमार राय न्यायाधीश)**

**21 जनवरी 2026**

सी. प्रकाश